उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

दूरभाष: 01334-244282, फैक्स: 244282

वैबसाइट:ukpsc.gov.in

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

संख्याः 148/06/ई0–1/डी०पी०सी०/2018–19 दिनांक 11 जून, 2018

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
वित्त विभाग (अनुभाग–8),
सचिवालय, देहरादून।

विषयः–राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017–18 हेतु वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी) के पद से सहायक आयुक्त, राज्य कर के रिक्त पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपुर्यक्त विषयक आयोग के पत्र संख्याः 120/06/ई0–1/डी0पी0सी0/2017–18, दिनॉक 16 मई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017–18 हेतु वाणिज्य कर अधिकारी से सहायक आयुक्त, राज्य कर के रिक्त 01 पद पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोग कार्यालय में निर्धारित की गयी थी। शासन/विभाग के प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा उक्त चयन समिति की बैठक में प्रतिभाग न किये जाने के कारण चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पायी थी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में पुनः **चयन समिति की बैठक दिनॉक 18.06.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।** प्रश्नगत पदोन्नति के प्रकरण में विचार करने हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निम्न सूचना/अभिलेख अपेक्षित हैः–

(1) वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी) से सहायक आयुक्त, राज्य कर के पद पर पदोन्नति हेतु निर्मित ज्येष्ठता–सूची निर्विवादित व अन्तिम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(2) वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी) से सहायक आयुक्त, राज्य कर के पद पर पदोन्नति हेतु किसी पात्र कार्मिक का प्रत्यावेदन लम्बित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(3) वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी) से सहायक आयुक्त, राज्य कर के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची के समस्त कार्मिकों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

3– यह अवगत कराना है कि चयन समिति के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली–2003 के नियम–11 के अनुसार शासन प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव पद से कम स्तर के न हों तथा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभागाध्यक्ष को नामित किया जाना आवश्यक है।

यह भी उल्लेख करना है कि पात्रता सूची के कार्मिक के सेवा अभिलेख यथा वार्षिक चरित्र प्रविष्टियॉ इत्यादि मूलरूप में अभिलेखों से मिलान करने के लिए विभाग के विज्ञ अधिकारी के साथ दिनांक 14.06.2018 को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात मूल अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

क्रमशः.......2....

अतः अनुरोध है कि कृपया आयोग के पत्र दिनॉक 16.05.2018 के अनुसार वांछित अभिलेख एवं नामित अधिकारीगण को चयन समिति की बैठक **दिनॉक 18 जून, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे** में प्रतिभाग करने की सूचना प्रदान करते हुए, नामित सदस्यों के नाम, पदनाम व दूरभाष की सूचना आयोग को ***फैक्स संख्या (01334–244282)*** एवं ई–मेल **examoneukpsc@gmail.com** पर भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 डंडरियाल),
परीक्षा नियंत्रक।

संख्याः 148 / 06 / ई0–1 / डी०पी०सी० / 2018–19 तद्दिनॉक।
प्रतिलिपिः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, मसूरी बाईपास, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11.06.18
(पी0सी0 डंडरियाल),
परीक्षा नियंत्रक।